

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

पक्ष

मौ० इकरार प्रथम पक्ष

बनाम मथुरा यादव द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 02/2022 सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बगोदर के अ०प्र० संख्या - 12/2021 दिनांक 28/12/2021 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 20/01/22 को कारण-पृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। २८-१-२२ अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया । २८-१-२२ अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया ।	

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/01/22	अभिलेख उपस्थापित। उक्त पक्ष उपस्थित। to 03/02/22	
03/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उक्त पक्ष उपस्थित। to 13/02/22	
13/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उक्त पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा कारण प्रस्तुत कराए गए। to 24/02/22	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उक्त पक्ष उपस्थित। to 03/03/22	
03/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। तृतीय पक्ष विलम्ब के उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा वाद को वापस लेने का अवसर दिया गया है जिसे स्वीकार करने वाले वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	के उपस्थित।